JODHPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD.

Corporate Identity Number (CIN) -U40109RJ2000SGC016483
Regd. Office : New Power House, Jodhpur- 342003
Phone No : 0291-2742343 : Fax No : 0291-2742228
E-mail: seppmju@gmail.com Web site : www.jdvvnl.com

क्रमांक : जोडि/अ.अ./पीपीएम. /एसएण्डआई/ फा./ प्रे० 3679 दिनांक 14/2/17

परिपत्र

विषयः– फलौदी खण्ड में 432 अनुसूचित जाति के आवेदकों के नाम से सर्वणों के खेतों में जारी अवैध कनेक्शनों के नियमितिकरण बाबत्।

जोधपुर डिस्कॉम के निदेशक मंडल द्वारा 235 वीं मीटिंग दिनांक 13.01.2017 में फलौदी खण्ड में 432 अनुसूचित जाति के आवेदकों के नाम से सर्वणों के खेतों में जारी अवैध कनेक्शनों के नियमितिकरण हेतु विस्तृत चर्चा उपरांत लिए गए निर्णय एवं निर्देशानुसार उक्त कनेक्शनों को निम्न शर्तो अनुसार नियमित कर दिया जावें।

1. जिन 432 कनेक्शनों को अवैध पाया गया था उन कृषि कनेक्शन धारकों को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित करते हुए दो माह के भीतर नियमतिकरण हेतु औपचारिक आवेदन पत्रावली प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जावें।
2. उक्त पाये गये 432 अवैध कृषि कनेक्शनों के नियमतिकरण हेतु ट्रांसफार्मर–सब–स्टेशन चार्जेज तथा लाईन चार्जेज सहित अन्य बूंद–बूंद/फव्वारा श्रेणी की दर से मांगपत्र राशि (जोधपुर डिस्कॉम के आर.ई.ओ. 178 के अनुसार) वसूली जावें तथा इन कनेक्शनों को बूंद–बूंद फव्वारा श्रेणी का मानते हुए समय–समय पर उक्त श्रेणी हेतु प्रभावी प्रचलित टैरिफ दर, मांग पत्र की राशि जमा होने की तिथि से अगले दो वर्षो तक विद्युत विपत्र के द्वारा वसूल की जावें। दो वर्ष पश्चात् इन्हे स्वतः ही कृषि सामान्य श्रेणी में परिवर्तित कर दिये जावें।
3. मांग पत्र की राशि स्वीकार करने से पूर्व एवं नियमतिकरण के दो वर्ष पश्चात् पुनः सामान्य श्रेणी में परिवर्तित करते समय यह सुनिश्चित किया जाये की इस संबंध में कोई भी बकाया नहीं है।

निदेशक मंडल के द्वारा 235 वीं मीटिंग दिनांक 13.01.2017 में लिए गए निर्णय व दिये गये निर्देशो के MOM की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करते हुए निर्देशित किया जाता है कि इसमें वर्णित निर्देशो की अक्षरसः पालना सुनिश्चित करावें तथा अन्य नियमानुसार सभी आवश्यक औपचारिकताऐ पूर्ण की जावें।

आज्ञा से
14.2.17
अधीक्षण अभियंता (पीपीएण्डएम)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत/प्रेषित है :

1. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अध्यक्ष, डिस्कॉमस, जयपुर।
3. निदेशक (वित्त/तकनीकी) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता (मुख्यालय), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
5. संभागीय मुख्य अभियंता (जोधपुर जोन) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी एण्ड आर/आई ए एण्ड ए/डब्लयू एण्ड एम), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/जयपुर।
7. सचिव (प्रशासन) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
8. प्रावैधिक सहायक, माननीय प्रबंध निदेशक महोदय, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
9. अधीक्षण अभियंता (ज़िला), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
10. अधीशाषी अभियंता (पवस), जोधपुर डिस्कॉम, फलौदी।
11. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता)/ उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
12. निजी सचिव, मा.ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर को सूचनार्थ।

14.2.17
अधीक्षण अभियंता (पीपीएण्डएम)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर